फा.सं.1 4011/01/2016-रा.भा.(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग,'बी'विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें । परन्तु देखने में आता है कि इस अपेक्षा की ओर बार-बार ध्यान दिलाये जाने पर भी उल्लिखित कागजात कई कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में ही जारी किये जा रहे हैं । जबकि धारा 3(3) के अन्तर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, करार, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञाप्ति आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं ।

- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।
- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा । लेकिन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं ।
- परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उनका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ।

- केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे ।

2. इसके साथ-साथ ही अपने मंत्रालय/विभाग के प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग (आर एंड आई) में काम करने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं कि धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में मंत्रालय/विभाग से जारी किए जाने वाले सभी पत्रादि द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) में जारी किए जाएं ।

3. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाये कि हिन्दी रूपान्तर, अंग्रेजी के ऊपर रहे ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सचिव,
समस्त मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मंत्रिमंडल सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक/सहायक निदेशक स्तर के मंत्रालय/विभाग में हिंदी इकाई के प्रभारी अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने मंत्रालय/विभाग में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों में परिचालित करें ।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
10. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

11. भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
13. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
14. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
15. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
16. निदेशक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, आर.के.पुरम,वेस्ट ब्लाक-7, नई दिल्ली ।
17. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली ।
18. समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भी इसकी प्रतियां परिचालित करें ।
19. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।